भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2644 का उत्तर

किसान रेल को राजसहायता

2644. श्री जी. लक्ष्मीनारायण:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में किसान रेल द्वारा फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए माल ढुलाई पर दी जा रही राजसहायता का ब्यौरा क्या है, जिसमें प्रतिवर्ष दी जाने वाली राजसहायता का प्रतिशत और पात्र संस्थाएं या हितधारक शामिल हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिवर्ष दी जाने वाली राजसहायता की कुल राशि सहित गत पांच वर्षों में किसान रेल द्वारा फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए दी जाने वाली राजसहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि किसान रेल द्वारा फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए दी जाने वाली राजसहायता अब बंद कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और बागवानी उत्पादों के परिवहन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) क्या सरकार की किसान रेल द्वारा फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए राजसहायता को फिर से शुरू करने की कोई योजना है, और यदि हां, तो इसे फिर से शुरू करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): दिनांक 7 अगस्त 2020 को किसान रेल सेवा के शुरू किए जाने के पश्चात से, रेलवे ने लगभग 2,364 किसान रेल सेवाओं का परिचालन किया है, जिनसे आंध्र प्रदेश, असम,

SK

बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर राज्यों में लगभग 7.9 लाख टन नश्यवान वस्तुओं की ढुलाई की जा रही है। अभी तक रेलवे द्वारा कुल 153.62 करोड़ रुपए की सब्सिडी संवितरित की गई है।

सब्जियों, फलों और अन्य नश्यवान वस्तुओं के संचलन के लिए संभावित रेल सर्किटों की पहचान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकारों के कृषि/पशुपालन/मत्स्य पालन विभागों के साथ स्थानीय निकायों और एजेंसियों, मंडियों आदि के परामर्श से की जाती है और परिचालनिक व्यवहार्यता के आधार पर किसान रेल सेवाएं चलाई जाती हैं।

*****

SK